भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 18

02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों का आधुनिकीकरण

18. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री एस.सी. उदासी:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के साथ-साथ दुनिया भर में आयुष दवाओं को वैश्विक मानकों के साथ एकीकृत करके आधुनिकीकरण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, आयुष बीमा कवरेज, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ नीति निर्माण प्रणाली को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख) जी हां।

i. सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग की स्थापना की है जिसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के लिए भेषजसंहिता मानक विकसित करने के लिए अधिदेश दिया गया है।

ii. बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) से अनुरोध किया गया है कि वह बिम्सटेक देशों में आयुष भेषजसंहिताओं यानी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एपीआई), यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (यूपीआई), सिद्ध फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एसपीआई), और होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एचपीआई) को अपनाए। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की गतिविधियों में से एक संबंधित देशों में आपसी आधार पर आयुष फार्माकोपिया को मान्यता दिलाना है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन (यूएसपी), यूएसए ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में विज्ञान-आधारित

मानकों की पहचान, विकास और प्रसार में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

iii. भारत सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के प्रशिक्षण और अभ्यास पर तथा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध में शब्दावली दस्तावेजों को विकसित करने के लिए चार बेंचमार्क दस्तावेजों को प्रकाशित करने में डब्ल्यूएचओ की सहायता की है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आफ डिजीजेज 11 (आईसीडी-11) के पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 के विकास के लिए भी डब्ल्यूएचओ को सहायता दी है।

iv. संबंधित पद्धतियों के लिए भारतीय मानक विकसित और प्रकाशित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तहत आयुष वर्टिकल्स स्थापित किए गए हैं।

v. गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2023 के परिपत्र संख्या 584 द्वारा अध्याय 11ए के तहत एक नई वीजा व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत आयुष पद्धतियों/भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों को आयुष (एवाई) वीजा दिया जाता है और ऐसे विदेशियों को ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा भी दिया जाता है।

(ग):

i. भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की कार्यनीति अपनाई है। आयुष मंत्रालय, एनएएम के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) में भी आयुष को शामिल किया है।

ii. आयुष सेवाओं को अन्य मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्पतालों और औषधालयों के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के साथ भी जोड़ा गया है।

iii. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 'आयुष उपचार' के तहत कवर की गई एक या अधिक पद्धतियों के लिए कवरेज प्रदान करते हैं।

iv. अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए आयुष अनुसंधान परिषदों की अवसंरचना और उनकी क्षमता को सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक निकायों के बीच आयुष अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के सचिवों के साथ आयुष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

v. आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों में अनुसंधान करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएचटीएम), लंदन, यूके; फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर (एफआईजेड), जर्मनी आदि के साथ भी सहयोग किया है।

*****